बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 180 ● नई दिल्ली ● वीरवार 17 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

हर कोई नहीं पहनेगा सफेद शर्ट-काली पैंट : दिल्ली की एक कोर्ट का नया फरमान

नई दिल्ली । दिल्ली की एक कोर्ट ने दलालों की ओर से की जा रही धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पहले वकील और क्लर्कों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया और अब कोर्ट परिसर में क्लर्क, वादी और आम जनता को सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कदम दलालों द्वारा खुद को वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर वादियों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। 15 जुलाई को नोटिस जारी कर कहा गया कि किसी भी क्लर्क, वादी या आम जनता को न्यायालय परिसर में आने के दौरान सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने की अनुमति नहीं है। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (आरसीबीए) ने दलालों की तरफ से वादियों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए वकीलों के क्लर्कों के लिए अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-एनसीआर में अलर्ट, सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम

नई दिल्ली। देशभर से हरिद्वार पहुंचे लाखों कांवड़िए अब अपने-अपने राज्यों की ओर लौटने लगे हैं. दिल्ली और एनसीआर से होकर गुजर रहे कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर सख्त तैयारियां की हैं. राजधानी में 22 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में 5,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मी और 50 कंपनियों के बराबर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं. कांवड़ मार्गों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है. मंदिरों और मुख्य रास्तों पर खास चौकसी बरती जा रही है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों के डीसीपी को मौके पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है.

ट्रैफिक के लिए बदले गए रूट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है. खासकर कालिंदी कुंज, नोएडा, बदरपुर और आगरा नहर मार्ग पर आंशिक बंदिशें लगाई गई हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे इन रूटों पर अनावश्यक यात्रा से बचें और वैकल्पिक मार्ग जैसे डीएनडी फ्लाईवे और आश्रम रोड का इस्तेमाल करें.

मौसम को देखते हुए एहतियात

दिल्ली-एनसीआर में हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता और बढ़ा दी है. कहीं जलभराव न हो, दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी मेडिकल टीम, जल टैंकर और आपदा राहत टीमें तैयार की हैं.

774 शिविरों के लिए चिह्नित स्थान, 374 को मंजूरी

दिल्ली में कांवड़ियों के लिए 774 जगहों को कैंप लगाने के लिए चिह्नित किया गया है. अब तक 374 शिविरों को मंजूरी दी जा चुकी है. बाकी शिविरों के लिए फाइनल अप्रूवल बाकी है. इन कैंपों में मेडिकल सुविधा, पीने का पानी और बाकी जरूरी इंतजाम किए गए हैं.

पथुरा और हरिद्वार में भी सख्ती

मथुरा में डीएम और एसएसपी खुद निगरानी कर रहे हैं. साफ-सफाई और भीड़ नियंत्रण पर खास जोर दिया जा रहा है. 16 पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स वाहन) और 4 मोबाइल टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं. उधर, हरिद्वार में दो अलग-अलग मामलों में चार कांवड़िए गिरफ्तार किए गए. दो ने पुलिस पर पथराव किया और दो ने एक दुकान में तोड़फोड़ की. कानपुर में एक जुलूस के दौरान हंगामे में एक होम गार्ड और दो अन्य लोगों पर हमला हुआ. पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया और 20 की पहचान सीसीटीवी से की गई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. मामला कांवड़ मार्ग पर खाने-पीने की दुकानों में मालिक की जानकारी वाला क्यूआर कोड लगाने को लेकर है. याचिकाकर्ता ने इसे धार्मिक भेदभाव और गोपनीयता का उल्लंघन बताया है. बरेली में एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. उन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसा गाना गाया जिससे कांवड़ यात्रा की भावना को ठेस पहुंची. बाद में जांच में पता चला कि वीडियो पुराना था और गलत तरीके से पेश किया गया. दिल्ली में कांवड़ियों के लिए प्रवेश के रास्ते तय किए गए हैं जैसे गाजीपुर बॉर्डर, आनंद विहार, भोपुरा, अप्सरा, लोनी बॉर्डर और कश्मीरी गेट. पुलिस ने वजीराबाद, जीटी रोड और लोनी रोड जैसे मार्गों को प्रमुख कांवड़ मार्ग के रूप में चिह्नित किया है. हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जरूरतमंद कांवड़ियों को तुरंत सहायता मिल सके. यात्रा के दौरान पुलिस की पीसीआर वैन, क्विक रिस्पॉन्स टीमें और एम्बुलेंस हर वक्त तैनात रहेंगी. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य हैडू कानून व्यवस्था बनाए रखना, ट्रैफिक सुचारू रखना और कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना.

कमेंट करें, मैं बनूंगा आपकी आवाज, राघव चड्ढा की नई पहल, संसद में उठाएंगे आम जनता के मुद्दे

नई दिल्ली । इस बार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. ऐसे में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले जनता से सीधा संवाद साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से उन मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं. यह एक अनोखी पहल है, जिसमें सांसद खुद आम जनता से उनके मुद्दे जानना चाहते हैं ताकि उन्हें संसद में उठाया जा सके. अपने वीडियो संदेश में राघव चड्ढा ने कहा, एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके मुद्दों को संसद में उठाऊं. मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपकी आवाज बनूं और वे मुद्दे सामने लाऊं जो आपको प्रतिदिन प्रभावित करते हैं. उन्होंने उदाहरण के तौर पर इनकम टैक्स की बढ़ती दरें, बैंकों के अत्यधिक चार्जेस, जीएसटी की जटिलताएं, एयरपोर्ट पर मिलने वाला महंगा खाना और रेल यात्रियों की परेशानियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उन्होंने पहले भी संसद में उठाया है. राघव चड्ढा ने अपने वीडियो में जनता से अनुरोध किया कि वे कमेंट के जरिए सुझाव दें कि इस बार संसद में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा, -मैं चाहता हूं कि इस बार आपके द्वारा दिए गए अधिकतम मुद्दों को संसद में उठाऊं और आपकी आवाज बनूं. संसद का यह सत्र देश के लिए अहम है और इसमें आम जनता की बात रखना मेरा कर्तव्य है.- इस पहल का उद्देश्य जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि लोकतंत्र और यादा सक्रिय और जवाबदेह बने.

दिल्ली के 4 नामी स्कूलों में बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली ईमेल्स ने हड़कंप मचा दिया है. बुधवार सुबह द्वारका, वसंत कुंज, पश्चिम विहार और शैज खास इलाके के 4 प्रतिष्ठित स्कूलों को मेल के जरिए बम होने की सूचना दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और इमरजेंसी टीमें हरकत में आ गईं. सबसे पहले सुबह 5:22 बजे द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला. इसके बाद वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल, पश्चिम विहार के रिचमंड ग्लोबल स्कूल और शैज खास के मदर इंटरनेशनल स्कूल को भी इसी तरह के मेल मिले. सभी मेल में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. मेल मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, डॉग स्क्वॉड, बम डिस्पोजल यूनिट और अन्य इमरजेंसी टीमें इन सभी स्कूल परिसरों में पहुंच गईं. सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दमकल विभाग को अलग-अलग समय पर चारों स्कूलों से कॉल्स प्राप्त हुईं. सुरक्षा एजेंसियों ने इन स्कूल परिसरों को खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक जांच में किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध पदार्थ या बम नहीं मिला है. हालांकि, एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और फोरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया है. पुलिस इन मेल्स के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है और साइबर सेल को भी सक्रिय किया गया है. गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बम की झूठी धमकी दी गई हो. पिछले कुछ महीनों में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें बाद में कोई भी खतरा नहीं पाया गया. इन घटनाओं से छात्रों और अभिभावकों के बीच डर का माहौल बन रहा है. फिलहाल पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही धमकी भेजने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मामले में एसआईटी की जांच पर सुप्रीम सवाल; कोर्ट ने कहा- यह दिशा से भटकी

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा में मुकदमे का सामना कर रहे अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को मामले में सुनवाई की और मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम की इंवेस्टिगेशन को लेकर असंतोष जताया. कोर्ट ने एसआईटी से जांच को सिर्फ दो एफआईआर तक ही सीमित रखने को कहा और इसका दायरा न बढ़ाने का निर्देश दिया. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 4 सप्ताह में जांच पूरी करने को कहा है. कोर्ट ने एसआईटी से कहा है कि अब उसे प्रोफेसर को पूछताछ के लिए फिर से बुलाने की जरूरत नहीं है. इस दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा, आपको प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, आपको डिक्शनरी की जरूरत है. अली खान महमूदाबाद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि

एसआईटी ने उनका लैपटॉप और दूसरे गैजेट जब्त किए हैं, जिस पर कोर्ट ने असंतोष जताया. याचिकाकर्ता प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने ऊपर चल रहे केस या उसके विषय से जुड़ी बातें न लिखें. एसआईटी को अब पूछताछ के लिए प्रोफेसर को समन भेजकर बुलाने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं और उनके गैजेट एसआईटी के पास हैं. एसआईटी को चार हफ्ते के अंदर जांच पूरी करनी होगी और जांच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए दो फेसबुक पोस्ट की भाषा और कंटेंट तक ही सीमित हो. कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, एसआईटी जांच को किसी और दिशा में ले जाकर खुद को क्यों भटका रही है? कोर्ट ने एसआईटी को याद दिलाया कि उसका गठन इसकी जांच करने के लिए किया गया था कि अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पोस्ट में जो बातें लिखीं हैं, क्या उनसे कोई अपराध बनता है.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल- जेल में कटी उम्र और फिर निकले बेकसूर, तो क्यों ना मिले मुआवजा

नई दिल्ली । । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी को गलत तरीके से लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, तो उसे मुआवजा देने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी लंबे समय से गलत तरीके से कैद किए गए मौत की सजा पाए दोषी को बरी करते हुए 15 जुलाई को दिए फैसले में कहा है.जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अमेरिका के विपरीत, भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कानूनों का अभाव है. जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि संयुक्त राय अमेरिका जैसे विदेशी न्यायक्षेत्रों में, लंबी अवधि की कैद के बाद बरी होने पर अदालतों ने राज्यों को उन लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है जो सलाखों के पीछे कष्ट सह रहे थे, लेकिन अंततः निर्दोष पाए गए. मुआवजे के इस अधिकार को संवैध और राय दोनों कानूनों द्वारा मान्यता दी गई है.मुआवजे का दावा करने के दो तरीके हैं. अपकृत्य दावे/नागरिक अधिकार मुकदमे/नैतिक दायित्व के दावे और, वैधानिक दावे. पीठ ने कहा कि भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विचार किया गया था, लेकिन गलत अभियोजन को उसकी समझ केवल दुर्भावनापूर्ण अभियोजन तक ही सीमित थी, और अभियोजन पक्ष ने गलत कारावास की स्थिति में सीधे तौर पर निपटे बिना, सद्भावना के बिना शुरुआत की. अदालत ने कहा कि गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुछेद 21 के तहत उसके जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, जिससे वह मुआवजे का हकदार हो जाता है, हालांकि इस तरह के मुआवजे का आधार विभिन्न अदालतों में भिन्न हो सकता है.

दरअसल हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी यह राय दी थी कि निर्दोष बरी होने का मामला गलत कारावास के लिए मुआवजे के दावे को जन्म दे सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश, सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने पर कैदियों के पैरोल-फरलो पर विचार संभव

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी दोषी की सजा के खिलाफ अपील या स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब भी उसे पैरोल या फरलो पर विचार से रोका नहीं जा सकता. कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने यह स साफ किया कि सजा को निलंबित करने और जमानत देने की शक्ति फरलो देने की शक्ति से अलग है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इस प्रकार जब अपीलें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हों तब भी जेल प्रशासन संबंधित नियमों के अनुसार पैरोल और फरलो देने पर विचार कर सकता है. अदालत ने कहा कि पैरोल देना या न देना, हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा . कोर्ट ने कहा ऐसी स्थिति हो सकती है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन या जमानत देने से स्पष्ट रूप से इनकार किया हो. ऐसी स्थिति में जेल प्रशासन को और गहनता से यह देखना होगा कि पैरोल या फरलो देना उचित होगा या नहीं. दिल्ली कोर्ट का यह आदेश दिल्ली कारावास नियम, 2018 के तहत फरलो की मांग को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. यह मामला पहले सिंगल जज की बेंच के समक्ष था जिन्होंने इसे संवैधानिक सवाल मानते हुए बड़ी बड़ी बेंच को भेज दिया था. आदालत की सिंगल जज की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने की स्थिति में फरलो की अनुमति न देना कैदियों के मौलिक अधिकारों में विशेषकर आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली कारावास नियमों के 1224 के नोट 2 को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने की स्थिति में फरलो के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित करे. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि पैरोल संबंधी सिद्धांतों को फरलो पर भी लागू किया जा सकता है. चूंकि इस विषय पर विभिन्न हाई कोर्ट में मतभेद रहा है और यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल है. इसलिए कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 132 और 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति भी प्रदान की है. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश उन तमाम कैदियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा जिनकी अपील अदालत में लंबित है और इस अपील की वजह से जेल प्रशासन उनके फरलो की मांग पर कोई फैसला नहीं ले पाता है.

कांवड़ियों को लेकर दिए गए दानिश अली के बयान पर कपिल मिश्रा का पलटवार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के स्वागत और सुविधा के लिए भव्य इंतजाम किए हैं. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि कांवड़िया आने शुरू हो गए हैं और सहायता राशि संबंधित समितियों को पहले ही ट्रांसफर कर दी गई है. इस बार राजधानी में 17 प्रमुख स्थानों पर भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम 12 ज्योतिर्लिंगों पर रखे गए हैं. कपिल मिश्रा ने कहा कि जैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए द्वार बनाए जाते हैं, वैसे ही दिल्ली में भी व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं 20 जुलाई को कांवड़ियों का स्वागत करने स्वयं पहुंचेंगी.

किसी के पेट में दर्द होता है तो हो- कपिल मिश्रा

कपिल मिश्रा ने कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी. खासतौर पर दानिश अली के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह तो होगा ही. उन्होंने कहा, हमने हाईवे बंद नहीं किया है, बल्कि कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं. उनका स्वागत फूलकें बिछाकर किया जाएगा. किसी के पेट में दर्द होता है तो हो. अभी तो उनके पेट में मरोड़ भी उठेंगे. कालिंदी कुंज इलाके में कांवड़ यात्रा के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर मंत्री ने सफाई दी. उन्होंने कहा, जब करोड़ों लोग एक साथ एक स्थान पर आते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या होना सामान्य है. लेकिन, यह कहना गलत है कि जाम सिर्फ कांवड़ यात्रा की वजह से हो रहा है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पहले जाम नहीं लगता था और अब लग रहा हो. लोगों की आस्था को बदनाम करने का प्रयास नहीं होना चाहिए. दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर जो तैयारी की है, वह पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और श्रद्धालु-केंद्रित मानी जा रही है. स्वागत द्वारों के अलावा, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, और विश्राम स्थलों की व्यवस्था भी की गई है. सरकार का दावा है कि धार्मिक आस्था और जन सुविधा के संतुलन को बनाए रखते हुए यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है.

जगतपुरी में बैट्री बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग से दो लोगों की मौत, एक जख्मी

नई दिल्ली। राजधानी में अवैध फैक्ट्रियों में आग लगने से मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती 24 जून को रिठाला में बैग व नैपकिन बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग लगने से चार लोगों की मौत की घटना को लोग भूले नहीं थे कि मंगलवार रात जगतपुरी थाना क्षेत्र में बैट्री बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में दो कर्मचारियों की मौत हो गई। आग लगने पर 35 गज के चार मंजिला मकान में 10 लोग फंस गए। आग पहली मंजिल पर बनी फैक्ट्री में लगी थी, जिसका धुंआ पूरे मकान में भर गया। एक युवक ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से गली में कूदकर जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अंदर फंसे 10 लोगों को बाहर निकाला। इनमें छह लोगों को सुरक्षित निकालने में पुलिस कामयाब रही, जबकि झुलसी हुई हालत में तीन व ऊपर से कूदने से घायल क युवक को डा. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने तनवीर व नुसरत को मृत घोषित कर दिया। वहीं, आसिफ की हालत यादा खराब होने पर उसे जौटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। कूदने से घायल हुए फैजल का हेडगेवार में ही इलाज चल रहा है। दमकल की नौ गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। जगतपुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री मालिक तस्लीम किराये पर जगह लेकर ये फैक्ट्री चला रहा था। वैसे आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि शार्ट सर्किट से आग लगी होगी। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि मंगलवार रात करीब पौने नौ बजे पुलिस को सूचना मिली कि पुराना गोविंदपुरा में चार मंजिला मकान की पहली मंजिल पर आग लगी है। पुलिस व दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। धुंआ ऊपरी मंजिल तक भरा हुआ था। दमकल की गाड़ियां अंदर तक नहीं जा सकीं तो करीब 60 मीटर दूर से पाइप के जरिये पानी पहुंचाया गया। नौ लोगों को बाहर निकाला गया। एक युवक पहले ही बाहर आ गया था। दो लोगों की मौत हुई है और दो का इलाज चल रहा है। मकान की पहली मंजिल पर मोबाइल फोन के पावर बैंक बनाने की फैक्ट्री थी। दूसरी मंजिल पर लहंगे बनाने की फैक्ट्री थी। खुरेजी निवासी फैजल ने पुलिस को बताया कि हादसे के वक्त पहली मंजिल की फैक्ट्री में वह चार कर्मचारी थे।

समानता रिपोर्ट में बेहतरी की ओर भारत

उमेश चतुर्वेदी ।

इसे संयोग कहें या कुछ और, जिस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दिनों जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' को लेकर बहस हो रही है, ठीक उसी वक्त आई विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारतीय समाज को ज्यादा समतामूलक बताया है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस रैंकिंग में चोटी के चार देशों में शामिल हो गया है, जबकि दुनिया की नंबर एक और नंबर दो अर्थव्यवस्थाएं यानी अमेरिका और चीन उससे पीछे हो गए हैं। भारत से आगे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। दिलचस्प यह है कि जिस समय यह रिपोर्ट आई, ठीक उन्हीं दिनों ऑक्सफैम जैसी दूसरी एजेंसियों की ओर से आई रिपोर्टों के हवाले से भारत में बढ़ती आर्थिक आर्थिक असमानता को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का आना और उसके समानता सूचकांक में भारत का बेहतर प्रदर्शन करना सुखद आश्चर्य का कारण तो बनता ही है। विश्व बैंक के समानता सूचकांक को गिनी सूचकांक भी कहा जाता है। एक तरह से यह आर्थिक विकास को सामाजिक समानता से जोड़ने का सूचकांक है। इस आंकड़े के अनुसार, भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। इस सूचकांक के अनुसार, भारत 'सामान्य से कम' असमानता श्रेणी में है। मानकों के अनुसार, इस श्रेणी के लिए स्कोर 25 से 30 के बीच होता है। यह 'कम असमानता' वाले समूह के मानक से कुछ ही ज्यादा है। इस श्रेणी में स्लोवाक गणराज्य शामिल है। स्लोवाक का गिनी इंडेक्स 24.1 है। इसी तरह दूसरे स्थान पर रहे सोवियत संघ के पूर्व हिस्से और मौजूदा स्लोवेनिया देश का सूचकांक 24.3 है। इसके बाद 24.4 अंकों के साथ बेलारूस है। इन तीनों के बाद भारत का नंबर है। गौरतलब है कि विश्व बैंक ने दुनिया के 167 देशों का गिनी इंडेक्स जारी किया है। इनमें भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 30 देश %सामान्य से कम% असमानता वाली श्रेणी में आए हैं। जिनमें अत्यधिक लोक कल्याण वाले अनेक यूरोपीय देश जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम और पोलैंड शामिल हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसा धनी देश भी शामिल है। इस सूचकांक के लिहाज से भारत का प्रदर्शन विगत के डेढ़ दशक की तुलना में बहुत बेहतर है। साल 2011 में भारत का गिनी सूचकांक 28.8 था। साल 2022 में यह 25.5 पर पहुंच गया।गिनी सूचकांक के जरिए यह समझने की कोशिश की जाती है कि देश विशेष के घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति और उसके उपभोग के वितरण में कितनी समानता है। इसे शून्य से लेकर 100 के सूचकांक के स्तर पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अनुसार, जिस देश का स्कोर शून्य है, उसका मतलब है कि उस देश में पूरी तरह समानता है यानी आय का वितरण पूरे नागरिकों में समान है। इस सूची में 100 स्कोर का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय और संपत्ति है और वही सबसे ज्यादा उपभोग करता है, जबकि दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि उस देश विशेष में पूरी तरह असमानता व्याप्त है। मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जिस देश का गिनी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस देश में उतनी ही असमानता होगी। विश्व बैंक का मानना है कि गिनी इंडेक्स में भारत की मजबूत स्थिति की वजह उसके गरीबी हटाओ उपाय हैं। जिनके जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बीते दशक में 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। विश्व बैंक ने गरीबी के लिए रोजाना 2.15 अमेरिकी डॉलर से नीचे की आय को रखा है। इस लिहाज से भारत में 2011-12 के दौरान करीब 16.2 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे, उनकी संख्या में साल 2022-23 में घटकर सिर्फ 2.3 प्रतिशत रह गई है। भारत में समानता लाने में मोदी सरकार की योजनाओं का बहुत योगदान है। इसमें नई योजनाएं हैं और पुरानी का बेहतर कार्यान्वयन भी है। इन योजनाओं के जरिए लोगों तक आर्थिक पहुंच में सुधार करना, राज्य की ओर से दिए जा रहे कल्याणकारी फायदों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और इस पूरी प्रक्रिया में समाज के कमजोर और कमजोर प्रतिनिधित्व वाले समूहों का सहयोग करना है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना को पहले स्थान पर रखा जा सकता है। जिस योजना के तहत 25 जून, 2025 तक 55.69 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जन धन खाते थे। इनके जरिए ना सिर्फ लोगों को राज्य की ओर से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सीधे पहुंच रहा है, बल्कि वित्तीय कामकाज के लिए बैंकों तक इन लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। आधार और डिजिटल पहचान के जरिए कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हुई है। तीन जुलाई, 2025 तक देश के 142 करोड़ से अधिक लोगों के आधार कार्ड जारी किए जा चुके थे। राज्य के कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान और सब्सिडी आदि को अब सीधे लोगों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। इसकी वजह से देश की बचत बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार, मार्च 2023 तक देश की संचयी बचत ?3.48 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। जाहिर है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का पैसा प्रत्यक्ष और सीधे खातों तक वित्तीय मदद पहुंच रहा है। भारत की आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने में आयुष्मान भारत योजना का भी हाथ मान सकते हैं। इसके जरिए इससे कवर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार तीन जुलाई, 2025 तक देशभर में 41.34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिसके दायरे में देश भर के 32,000 से अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की जा चुकी है, चाहे उनकी आय जो भी हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की वजह से यह प्रयास और मजबूत हुआ, जिसमें लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 79 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं। भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने में स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजना के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित इस योजना के जरिए दलित और आदिवासी एवं महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई के पहले हफ्ते तक इस योजना के तहत पूरे देश में 2.75 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके थे। इसके तहत नव उद्यमियों को 62,807.46 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं। एक तरह से इस योजना के जरिए वंचित समुदाय की आर्थिक तरक्की हो रही है। आर्थिक तरक्की की राह सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। भारत में जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश की खाद्य और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन चुकी है।

कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना तहत 80.67 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। मुफ्त मिल रहे खाद्यान्न का उद्देश्य है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। भारत में गरीबी कम करने में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का भी अपना विशेष योगदान मान सकते हैं। इसके तहत पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों बिना किसी जमानत के ऋण, टूलकिट, डिजिटल प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता दिए जा रहे हैं। इस साल जुलाई के पहले सप्ताह तक इस योजना के तहत 29.95 लाख व्यक्तियों को फायदा मिल चुका है। इससे शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह की गरीबी दूर करने में मदद मिली है। इसका यह मतलब नहीं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया जाए। इसके अनुसार देश में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर महज एक प्रतिशत लोगों के पास देश की चालीस फीसद से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि सबसे गरीब आधी आबादी के पास सिर्फ तीन प्रतिशत संपत्ति है। यह असमानता आय, संपत्ति और अवसरों में भी साफ तौर पर दिखती है।

'लालटेन' से 'लैपटॉप' की ओर तेजी से बढ़ता बिहार!

युद्ध, महंगाई, मंदी से जूझती दुनिया में भारत को लेकर सकारात्मक आर्थिक संकेत मिलना केवल आकस्मिक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित बदलाव का नतीजा है। अच्छी बात यह है कि भारत की आर्थिक सफलता की कहानियां अब केवल मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रही हैं। परिवर्तन की असली पटकथा अब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में लिखी जा रही है। ईमानदारी की बात है कि बिहार आज भारत के पटल पर बड़ा, दमदार, जानदार और शानदार राज्य बन कर उभरा है। बिहार, जिसे कभी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, अब आर्थिक पुनर्जागरण की मिसाल बनता जा रहा है। हाल ही में पटना में आयोजित एक विशेष औद्योगिक संवाद में देश की 55 आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने हिस्सा लिया। ये कंपनियां राज्य में निवेश की संभावनाएं टटोल रही थीं। ड्रोन, डेटा सेंटर, सोलर उपकरण, लैपटॉप निर्माण और सॉफ्टवेयर सेवाओं से जुड़ी कंपनियों ने जिस उत्साह से बिहार की नई नीतियों की सराहना की, वह बताता है कि राज्य अब 'लालटेन' से 'लैपटॉप' की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए 70 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि देने की नीति, सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था और निवेशकों के साथ संवाद की तत्परता ने उद्योग जगत को आकर्षित किया है। इस बार बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिखने लगा है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बिहार का दिमाग भारत को ही नहीं, विदेशों को भी तरक्की प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहां के इंजीनियर, पत्रकार, शिक्षक आदि सभी सुपर ब्रेन हैं और अगर यहां के मजदूर बिहार वापस आ जाएं तो भारत के विकास का भट्ठा बैठ जाएगा। पिछले साल दिसंबर में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान अडानी समूह, सन पेट्रोकेमिकल्स और कई अन्य बड़ी-छोटी कंपनियों ने राज्य में 1.81 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया। यह निवेश नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होगा। इससे पहले 2023 में आयोजित पहले निवेशक सम्मेलन में बिहार में 50,300 करोड़ रुपये के निवेश का वादा मिला था। सन पेट्रोकेमिकल्स 36,700 करोड़ रुपये ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे पंप हाइड्रो और सौर संयंत्रों में निवेश करेगी। अडानी समूह, जो राज्य में सबसे बड़ा निजी निवेशक है, ने लगभग 28,000 करोड़ रुपये निवेश करने का वादा किया है। यह निवेश एक अत्याधुनिक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने, सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स व्यवसायों के विस्तार में किया जाएगा। दरअसल बिहार में आर्थिक चेतना का एक नया अध्याय निवेशकों की भागीदारी से भी खुल रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं कि बीते पांच वर्षों में बिहार में शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या 0.7 लाख से बढ़कर 52 लाख हो गई है। यह 68 गुना की वृद्धि न केवल देश में सबसे अधिक है, बल्कि यह दर्शाता है कि अब राज्य की जनता आर्थिक निर्णयों को लेकर अधिक जागरूक और आत्मनिर्भर होती जा रही है। यही नहीं, म्यूचुअल फंड में बिहार के निवेशक 89 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी योजनाओं में लगा रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि उन्हें बाजार की चाल और लाभ-हानि की समझ अब बेहतर हो चुकी है। इस बदलाव के कई आयाम हैं। एक तो यह कि अब सरकारी नौकरी को ही एकमात्र विकल्प मानने की मानसिकता में कमी आई है।

दूसरा, यह कि डिजिटलीकरण और मोबाइल एप आधारित वित्तीय सेवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बना ली है। जेरोधा, ग्रो और अपस्टाक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने न केवल जानकारी को सहज बनाया है, बल्कि निवेश को भी सरल बना दिया है। आज समस्तीपुर का एक छोटा कारोबारी और दरभंगा की एक गृहिणी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही है। यह बदलाव छोटे दिख सकते हैं लेकिन जब इन्हें करोड़ों लोगों की आदत में शुमार कर लिया जाए तो इसका प्रभाव देश की पूरी आर्थिक संरचना पर पड़ता है। बिहार के इस बदलाव का संबंध शिक्षा और सूचना तक पहुंच से भी है। बीते एक दशक में राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने ग्रामीण युवाओं को वैश्विक दुनिया से जोड़ा है।

सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे माध्यमों ने जानकारी को लोकतांत्रिक बना दिया है। अब वित्तीय निर्णय केवल विशेषज्ञों का क्षेत्र नहीं रहा। आम जनता भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बीमा और टैक्स प्लानिंग जैसी चीजों में रुचि ले रही है। यह समझना भी जरूरी है कि भारत की आर्थिक उन्नति केवल जीडीपी के आंकड़ों या बाजार सूचकांकों से नहीं मापी जा सकती। यह बदलाव तब स्थायी और प्रभावी होगा जब देश के सभी हिस्से इस विकास में समान भागीदार बनें। बिहार जैसे राज्य जिनकी दशकों तक विकास दर कम रही, यदि तेजी से ऊपर उठते हैं तो यह भारत के लिए सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय न्याय का संकेत भी होगा। सेंसेक्स का एक लाख तक पहुंचना महज बाजार की उपलब्धि नहीं होगा, बल्कि यह उस सामूहिक प्रयास की सफलता होगी जिसमें देश के छोटे शहरों, गांवों, कस्बों और उनके नागरिकों का श्रम, शिक्षा और संकल्प शामिल होगा। यह जरूरी है कि नीति निर्धारण में बिहार जैसे राज्यों को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखा जाए। उनकी समस्याएं, संरचनात्मक बाधाएं, कौशल विकास की जरूरतें और औद्योगिक आधारभूत ढांचे की कमी को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। भारत यदि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनना चाहता है तो उसे बिहार जैसे राज्यों को शक्ति केंद्र बनाना होगा। विकास का मॉडल अब महानगरों तक सीमित नहीं रह सकता। वह दरभंगा से भी निकलेगा, और भागलपुर से भी। वह आरा की गलियों से होकर वैश्विक मंच तक पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था की यह नई कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, आत्मविश्वास की भी है और यह आत्मविश्वास तब तक टिकाऊ रहेगा जब देश का हर हिस्सा, हर वर्ग और हर नागरिक इस यात्रा का सहभागी बने। सेंसेक्स एक लाख कब पहुंचेगा इसे लेकर अर्थशास्त्रियों के बीच बहस होती रहे लेकिन अगर भारत के गांव और कस्बे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं तो यही असली आर्थिक क्रांति है। बिहार इसकी मिसाल बन चुका है। आज का बिहार भारत का ताज है।

सम्पादकीय...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है लेकिन इस अधिकार की भी लक्ष्मण रेखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हिंसा, दूसरों को बदनाम करने, मानहानि करने या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती संतुलन की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ-साथ ऐसे शब्दों और भाषणों का प्रतिकार करना भी जरूरी है जो वास्तव में हिंसा, फूहड़ता, अश्लीलता को प्रोत्साहित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का ऑनलाइन दुरुपयोग हो रहा है। कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत की पीठ ने कार्टूनों पर कड़ी आपत्ति जताई और टिप्पणी की कि यदि अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का आनंद लेना चाहते हैं तो यह उचित प्रतिबंधों के साथ होना चाहिए। हिन्दू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के लिए अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने टिप्पणी की कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मूल्य पता होने चाहिए। लोगों को अपनी टिप्पणियों में संयम बरतना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा है कि वह किसी तरह की सेंसरशिप नहीं चाहते। पीठ ने राज्यों और केन्द्र से कहा है कि वे ऐसे तरीके सुझाएं जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना घृणास्पद भाषणों को नियंत्रित किया जा सकता है। नागरिकों को स्वयं इस बात का पता होना चाहिए कि अगर वे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। हालांकि कोई नहीं चाहता कि राज्य हस्तक्षेप करे। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्यों में से एक है। कम से कम सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। नागरिकों को स्वयं संयम बरतना चाहिए ताकि समाज में भाईचारा बना रहे। यह भी वास्तविकता है कि राज्य सरकारों ने कानूनों का दुरुपयोग करके युवाओं का दमन करने की कोशिश की है। किसी भी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि वहां अलग-अलग विचारों या मत को जाहिर करने के मामले में ऐसी बंदिशें नहीं होती, जिसे अभिव्यक्ति के दमन के तौर पर देखा जाए। एक वैचारिक रूप से सशक्त और परिपक्व समाज अपने विवेक के स्तर पर इतना समृद्ध होता है कि वह किसी विचार में मानवीय मूल्यों और संदर्भों को दूरगामी परिप्रेक्ष्य में देख सके। विडंबना यह है कि विचारों की जिस भिन्नता की बुनियाद पर एक स्वस्थ समाज का सपना साकार हो सकता है, उसी को कई बार सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है और इस तरह उसका दमन करने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उत्तेजक गीत के साथ एक संपादित वीडियो पोस्ट करने के लिए गुजरात के जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। मामले की सुनवाई के बाद कथित 'भड़काऊ' कविता को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि साहित्य, जिसमें कविता और नाटक, फिल्में, मंचीय कार्यक्रम जैसे स्टैंड-अप हास्य, व्यंग्य और कला शामिल है, जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। 21वीं सदी के आरंभ (2000) में राजग के कार्यकाल में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया था। आठ वर्ष बाद (2008 में) संप्रग-2 ने इसमें संशोधन कर धारा 66-ए को शामिल किया, जिसकी अधिसूचना फरवरी, 2009 में जारी हुई। प्रोफेसर हों या कार्टूनिस्ट, लड़कियां हों या लेखक, व्यापारी हों या कर्मचारी, किशोर हों या वयस्क-अधेड़ सभी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) बिल, 2008 की धारा 66-ए की गिरफ्त में आये। इस धारा के खिलाफ 21 याचिकाएं दायर की गयीं, जिनमें पहली याचिका कानून की छात्र श्रेया सिंघल ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद के विरोध में महाराष्ट्र की पालघर की दो लड़कियों (शहीन ढाडा और रीनू श्रीनिवासन) ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, तब इन दोनों के खिलाफ यह धारा लगायी गयी थी। श्रेया सिंघल ने इस धारा को चुनौती दी थी। गत 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और आरएफ नरीमन की पीठ ने इससे संबंधित सभी जनहित याचिकाओं पर दिये फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत मूल्य घोषित करते हुए इस धारा को निरस्त कर दिया। आदेश में धारा 66-ए के तीन शब्दों- 'चिढ़ने वाला', 'असहज करने वाला' और 'बेहद अपमानजनक' को अस्पष्ट कहा गया। हमारे गणतंत्र के 78 वर्ष के बाद भी हम इतने कमजोर नहीं दिख सकते कि सिर्फ एक कविता, कला या मनोरंजन के किसी भी रूप के प्रदर्शन से समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा होने का आरोप लगाया जा सकता है। जाहिर है, अभिव्यक्ति पर बंदिश के लिए जिस तरह की परिस्थितियां रची जाती हैं, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की चुनौतियां देखी जा रही हैं, वे देश में लोकतंत्र के लिए आखिरकार नुकसानदेह साबित होंगी। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी लोकतंत्र तभी और ज्यादा मजबूत बनता है जब उसमें अलग-अलग विचारों के प्रति भिन्न समुदायों के भीतर सहिष्णुता के लिए पर्याप्त जगह होती है। यों भी संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। खासतौर पर बौद्धिक समाज अपने दायरे में किसी विचार के प्रति समर्थन या विरोध व्यक्त करने के लिए कई बार अलग-अलग रचनात्मक विधाओं का सहारा लेता है उसमें कानून और संविधान के तहत मिली आजादी के दायरे में वैसा आलोचनात्मक स्वर भी हो सकता है जो किसी न किसी रूप में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करे। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी-अपनी मर्यादाओं में रहकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करना होगा। तभी समाज में सौहार्द बना रहेगा।

टीवी स्क्रीन पर स्मृति ईरानी की वापसी

'ईरानी हार नहीं मानतीं, नया रास्ता बनाती हैं' क्या ईरानी को थोड़े समय के लिए छुट्टी दी गयी है? ईरानी ने लोकसभा की सीट भले खो दी, पर उनकी पटकथा उनके पास है। इस देश के सार्वजनिक जीवन में स्मृति ईरानी की तरह कठिन लड़ाई लड़ने, चमक भरी लपट के साथ जल उठने या तेजी से गिरने के दूसरे उदाहरण कम ही होंगे। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की आगामी 29 जुलाई से दोबारा शुरुआत दरअसल ईरानी का पुनर्जागरण है। यह वापसी नहीं, पुन-प्रवेश है। यह ईरानी की सुचिंतित सांस्कृतिक विजय है। राजनीति में वापसी अक्सर प्रतीकात्मकता, निहितार्थ और प्रतिध्वनि में दिखाई पड़ती है। इस कारण तुलसी-ईरानी को छोटे पर्दे पर फिर से लाये जाने को नॉस्टैल्जिया नहीं कह सकते, यह विमर्श का द्वंद्व है। कभी तुलसी भारतीय टेलीविजन पर संस्कारी संप्रभु थीं। अब दोबारा तुलसी की भूमिका में ईरानी शक्ति, उपस्थिति और व्यक्तित्व के समायोजन को चतुराई के साथ पेश करेंगी। वर्ष 1976 में दिल्ली के एक सामान्य परिवार में पैदा हुईं ईरानी का राजनीतिक उत्थान किसी की कृपा का नतीजा नहीं था। उन्होंने शून्य से शुरुआत की, मैकडोनाल्ड्स में नौकरी करने से लेकर तुलसी वीरानी की भूमिका के जरिये प्राइम टाइम में राज करने तक उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन बोध को उसकी संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ पेश किया। पर महत्वाकांक्षा भूखे पशु की तरह होती है। शुरू में भाजपा पर नजर रखने वालों ने ईरानी को दूसरी टेलीविजन शख्सियतों की तरह खत्म हुआ मान लिया था। पर ईरानी ने अपनी वक्तृत्व कला को अपनी ताकत बना लिया। पहला चुनाव हार जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2019 के लोकसभा चुनाव में वह कर दिखाया, जिसे बहुतेरे लोग असंभव समझते थे। उन्होंने कांग्रेस के वंशवादी किले अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया। मतपेटी के एक निर्मम प्रहार से उन्हें 'जायंट किलर' का तमगा मिल गया और इस उपलब्धि पर तालियों की गूंज भारतीय राजनीति में दूर तक सुनी गयी। वर्ष 2014 से 2024 तक उन्होंने केंद्र में शिक्षा, वस्त्र, अल्पसंख्यक मामले और बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का मसौदा तैयार करने में उन्होंने मदद की, हथकरघे के गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित किया, वक्फ बोर्ड में सुधार किया और बाल विकास से जुड़े विमर्श को नया रूप दिया। उनकी भूमिका महज आलंकारिक नहीं, कार्यकारी थी। पर राजनीति जिस उदारता से पुरस्कृत करती है, उससे अधिक कठोरता से दंड देती है। वर्ष 2024 में गांधी परिवार के एक निष्ठावान कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी में स्मृति ईरानी को 1.67 लाख वोटों से हरा दिया। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में हालांकि कुछ पराजितों को समायोजित किया गया, पर ईरानी को किनारे कर दिया गया। पर ईरानी हार नहीं मानतीं, नया रास्ता बनाती हैं। ईरानी यह भी जानती हैं कि भारत जैसे देश में जहां राजनीति रंगमंच और टेलीविजन धर्मशास्त्र है, छोटा पर्दा ही असली जगह है, तुलसी के किरदार की वापसी की उनकी घोषणा रिट्रीट नहीं, सिंहनाद थी। ईरानी ने इसे 'साइड प्रोजेक्ट' कहा, लेकिन यह 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले आ रही है। क्या यह महज संयोग है? या सुनियोजित सांस्कृतिक पहल? डिजाइनर गौरांग शाह के साथ मिलकर, खुद को फिर से भारतीय वेशभूषा में पेश कर और तुलसी के किरदार को दोबारा रचते हुए उसे जलवायु, लैंगिक न्याय और सामाजिक हिस्सेदारी की योद्धा के रूप में पेश कर पूर्व केंद्रीय मंत्री फैशन को फंक्शन, नाटक को कूटनीति और टेलीविजन को रूपांतरण से जोड़ रही हैं। इसका असर होता है, ईरानी पांच भाषाएं जानती हैं। पांच तरह के पेशों- संस्कृतियों से उनका जुड़ाव है- बॉलीवुड, नौकरशाही, भारतीयता, कारोबार और बड़ी तकनीकी कंपनियां, बिल गेट्स से जुड़ाव ने ईरानी को एक मंत्री से कहीं ज्यादा कद्दावर बनाया। जब भाजपा के कई कद्दावर नेता रिटायर या अप्रासंगिक होने के कगार पर हैं, तब ईरानी रोमांचक, भाषणपटु और अप्रत्याशित बनी हुई हैं। हालांकि ईरानी सर्वत्र प्रशंसनीय नहीं हैं, उनकी आक्रामक शैली, अदम्य महत्वाकांक्षा और गांधी परिवार से सार्वजनिक तकरार से राजनीति ध्रुवीकृत हुई है। आखिर भाजपा ने, जिसे करिश्माई महिला नेत्रियों की अत्यंत आवश्यकता है, अपनी चमकदार नेत्री को बैठाकर क्यों रखा है? क्या ईरानी को थोड़े समय के लिए छुट्टी दी गयी है? या तुलसी 2-0 ईरानी को वापस लोगों के लिविंग रूम में ले आयेगी? क्या ईरानी का सांस्कृतिक पुनरुत्थान उनका राजनीतिक पुनरुत्थान भी साबित होगा? जब 2029 तक अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता ढलान पर चले जायेंगे, तब भाजपा की विचारधारा का प्रतिनिधित्व ईरानी से बेहतर भला कौन कर पायेगा, जो महिला नेतृत्व को परिभाषित करती हैं, जो राहुल गांधी से मुकाबला कर सकती हैं, और जो प्रतीकात्मकता से लैस अपनी वापसी की पटकथा लिख सकती हैं? जिस पार्टी में गंभीर महिला नेत्रियों का अभाव है, वहां ईरानी सुषमा स्वराज की प्रभावशाली उत्तराधिकारी साबित हो सकती हैं। नहीं, ईरानी टेलीविजन पर सिर्फ अपने पसंदीदा किरदार को दोबारा निभाने नहीं जा रहीं, यह उनकी लंबी योजना का हिस्सा है, वह हाशिये पर धकेल दिये गये एक सितारे की कहानी भर नहीं है, जो चर्चा में बने रहना चाहती है।

यह एक सांस्कृतिक पूंजीवादी का गणित है, जिसे नौटंकी और स्मृति चालित लोकतंत्र में छोटे पर्दे के महत्व की बखूबी समझ है। ईरानी ने लोकसभा की सीट भले खो दी, पर उनकी पटकथा उनके पास है। वह जानती हैं कि राजनीतिक रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा चुकने के बाद अब वह टेलीविजन पर भावुक किरदार निभाने जा रही हैं। उनका टेलीविजन धारावाहिक सिर्फ नाटक नहीं, रूपक है, तुलसी अब सिर्फ बहू नहीं रहीं, सामाजिक संवादों का वाहक बन गयी है, जिसमें लैंगिक समानता, पर्यावरणीय मूल्य और सांस्कृतिक निरंतरता की बात है। टेलीविजन पर वापसी की घोषणा के साथ ईरानी ने जता दिया है कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के 150 एपिसोड दिखाये जाने हैं, लिहाजा 2029 के चुनाव से पहले ईरानी की सार्वजनिक जीवन में वापसी इससे शानदार नहीं हो सकती थी।

वरिष्ठजन बदलाव को स्वीकार करें

एक प्रश्न सभी से—क्या आपको अपनी सबसे पुरानी ऐसी कोई बात याद है, जिसे सोचते ही आज भी रोमांच हो उठता है? कभी बचपन का कोई खेल, कभी भाइयों-बहनों के साथ की तकरार या स्कूल में सहपाठियों के साथ बिताए पल। याद कीजिए वह समय जब छोटे-छोटे झगड़े भी होते थे लेकिन उनमें एक मिठास होती थी। थोड़ी देर में सब सामान्य हो जाता था। परिवार के साथ छुट्टियों में किसी रिश्तेदार के यहां जाना या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा ऐसे अनेक पल जो आज भी स्मृतियों में जीवित हैं। अब प्रश्न उठता है-क्या आज के बच्चे या हमारे पोते-पोतियां ऐसी ही भावना से गुजर रहे हैं? शायद नहीं। आज का जीवन परिवर्तित हो चुका है। परिवारों का ढांचा बदल गया है, एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है, सामाजिकता कम हो गई है और डिजिटल युग ने बच्चों की दुनिया ही अलग बना दी है। यह बदलाव केवल सामाजिक परिवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, सोच, शिक्षा, संबंध, रहन-सहन या यूं कहें तो हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। यह मान लेना कि बदलाव गलत है, केवल इसलिए कि वह हमारे समय से भिन्न है, यह दृष्टिकोण नकारात्मक ही माना जाएगा। परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है। हर पीढ़ी अपने समय में जो कुछ जीती है, वही उसके लिए आदर्श बनता है। वरिष्ठजनों का दायित्व है कि वे इस बदलाव को केवल आलोचना की दृष्टि से न देखें, बल्कि इसे समझें और स्वीकार करें। यदि हम नई पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित रखना चाहते हैं तो उनकी दुनिया को समझना और उसमें खुद को ढालना आवश्यक है। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मित्रता भी सोशल मीडिया पर निभाते हैं, वीडियो गेम्स उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं, और ज्ञान का दायरा इंटरनेट ने व्यापक कर दिया है। यह सब भले ही हमें अपरिचित और शुष्क लगे, लेकिन इन्हीं में वे अपनी रुचि, समझ और सामर्थ्य का विकास कर रहे हैं। यदि वरिष्ठजन इस परिवर्तन को अस्वीकार कर देंगे तो पीढ़ियों के बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर यदि वे जिज्ञासा के साथ इन नई चीजों को सीखने का प्रयास करें तो उनके लिए भी यह एक नयी यात्रा बन सकती है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया-ये सब हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं बशर्ते हम इन्हें अपनाने को तैयार हों। ज्यादातर बुजुर्ग लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। दिक्कत यह होती है कि इनकी तकनीक में इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन या अपग्रेडेशन होते हैं कि उनके साथ चलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, बदलाव का अर्थ केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है। सामाजिक मूल्यों, संबंधों के स्वरूप और जीवनशैली में भी परिवर्तन आया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज एकल परिवार हैं। पहले जीवन में धीमापन और धैर्य था, आज भागमभाग है। पहले जीवन सीमित आवश्यकताओं तक सिमटा था, अब विकल्प और आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में वरिष्ठजनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

धर्म का धंधा सबसे चंगा

चाँदशाह ताजिया कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पर आरोप का कारण चढ़ावा तो नहीं ?

फतेहपुर।

समाज में गौर करेंगे तो पायेंगे कि लोग दूसरों पर ही उंगली उठाते हैं। अपने सुधार के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। लोगों के बीच शायद इसीलिए भिखराव और अलगाव अधिक है। वर्तमान समय में शोसल मीडिया में देखा जा सकता है कि मोहर्रम सम्पन्न हो जाने के बाद ताजिया व अलम इन्तेजामिया कमेटी के लोग अलग नजर आ रहे हैं और चाँदशाह ताजिया कमेटी के लोग अलग नजर आ रहे हैं। कहीं ये वर्चस्व को लेकर अलगाव की स्थिति तो नहीं बन गई है ? ताजिया व अलम इन्तेजामिया कमेटी के सदस्य मो0 इस्माइल वारसी ने चांदशाह ताजिया कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वसीम राईन उर्फ नाना पर मनमानी व तानाशाही का आरोप लगाया था। इसके बाद से चाँदशाह ताजिया कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वसीम राईन उर्फ नाना के साथ राईन बिरादरी के 3 चौधरियों में चौधरी शकील राईन, चौधरी इस्लाम राईन उर्फ गुड्डू व चौधरी महमूद राईन साथ-साथ दिखते हैं। जबकि चौधरी मोईन राईन साथ नहीं दिख रहे हैं। यदि राईन बिरादरी के चौधरी की बात की जाए तो समाज द्वारा चुने हुए चौधरी मोईन राईन हैं। ऐसे में मंथन का विषय शायद यह है कि ये चारों चौधरी अपने समाज के उत्थान के लिए इस तरह से संघर्ष करते क्यों नहीं दिखाई देते हैं, जितना कि चाँदशाह ताजिया को लेकर सक्रिय रहते हैं। लोगों के बीच चर्चा इस बात की है कि धर्म का धंधा सबसे चंगा है। चाँदशाह ताजिया में चढ़ावा बहुत चढ़ता है, जिसके चलते ये चौधरी अपने वर्चस्व के लिए दिन रात एक किये रहते हैं। राईन समाज की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। हकीकत क्या है ? ये जानने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी चौधरी स्पष्ट जवाब देने के पक्ष में नहीं है। चौधरियों के बीच के अलगाव को उक्त फोटोओं से समझा जा सकता है।

उद्यमियों की विद्युत समस्याओं के निराकरण हेतु कोप इस्टेट दादा नगर में लगा केस्को का समाधान कैम्प

कानपुर।

दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को केस्को की कार्यप्रणाली के केन्द्रीयकरण के उपरांत उत्पन्न हो रही विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये कोआपरेटिव इस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उद्यमियों की समस्याओं को लेकर चेयरमैन विजय कपूर द्वारा केस्को के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन. (आईएएस) के साथ बैठक की गई, जिसके फलस्वरूप बुधवार को कोआपरेटिव इस्टेट कार्यालय, दादा नगर में उद्यमियों की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु केस्को का समाधान कैम्प आयोजित किया गया। सर्वप्रथम चेयरमैन विजय कपूर ने केस्को प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन. एवं केस्को के वरिष्ठ अधिकारियों का अंगवस्त्र पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन., डायरेक्टर राकेश वार्ष्णेय एवं अन्य अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए, प्रशासनिक भवन परिसर में पौधारोपण भी किया। कैम्प में अनेकों उद्यमीगण अपनी विद्युत सम्बन्धी तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं को लेकर आये, जिनका केस्को के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन. एवं केस्को के वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित समाधान का प्रयास किया। उद्यमियों से विद्युत सम्बन्धी 92 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 49 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और शेष को जांच के बाद निस्तारण के लिये दर्ज कर लिया गया, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। इस कैम्प में चेयरमैन विजय कपूर के साथ प्रमुख रूप से सुरेश पुरी, हरीश ईसरानी, दिनेश कुशवाहा, विशाल खण्डेलवाल, कार्तिक कपूर, पम्मी खत्रा, शिवकुमार प्रजापति, सुशील टकरू, प्रदीप माहेश्वरी, अशोक जुनेजा, प्रेम राज, श्याम लाल मूलचंदानी, नरेश पंजाबी, प्रवीन कपूर, अरूण जैन, श्याम बिजलानी, सुभाष सिंह, शरद शर्मा, बॉबी कपूर, हरि किशन वर्मा, अनूप कुशवाहा, समनप्रीत सिंह, गोपाल सदाना, मनीष वाधवानी, मनोज वोहरा, अरविन्द पिपरसेनिया, शिशिर चौरसिया, राजेन्द्र गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, पंकज गुप्ता, जगदम्बा प्रसाद विश्वकर्मा, भीमसेन, मनोज सक्सेना, ओ.पी. सिंह, वीरेन्द्र मिश्रा, प्रेम नरायन शर्मा, अंश चन्देल, सन्तोष गुप्ता, मयंक विज, अफजाल अहमद, भारत पाल सिंह, नरेश विरमानी, सीताराम शुक्ला, अंकुर खत्रा, मनीष सेठी, गिरीश बजाज, यशपाल सचान, आदि ने उद्यमियों की समस्याओं पर सार्थक समाधान का प्रयास किया।

मटिया नगला में राशन घोटाला, 125 कुंटल खाद्यान्न गबन, विक्रेता पर मुकदमा दर्ज

बरेली। फरीदपुर क्षेत्र के मटिया नगला मजरा में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उचित दर विक्रेता सुरेन्द्र पाल पर 125 कुंटल खाद्यान्न के गबन का आरोप साबित हुआ है। डीएम अविनाश सिंह की अनुमति के बाद बिथरी चैनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतें मिलने पर 1 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक ललित भटनागर ने जांच शुरू की। जांच के दौरान दुकान बंद मिली और 34 कार्डधारकों ने बताया कि विक्रेता राशन कम देता है या अंगूठा लगवाकर कई चक्कर कटवाता है। कई लाभार्थियों ने गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार की शिकायत भी की। संयुक्त जांच में खुलासा हुआ कि जून व जुलाई में विक्रेता को 94.13 कुंटल चावल और 39.95 कुंटल गेहूं आवंटित हुआ था, जबकि मौके पर सिर्फ 6.62 कुंटल चावल और 1.29 कुंटल गेहूं मिला। चीनी का स्टॉक भी शून्य था। पूर्ति विभाग की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया। आरोपी की ई-पॉस मशीन, स्टॉक व अन्य उपकरण सील कर पास के विक्रेता को सौंप दिए गए हैं। विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

नगर निगम कर्मी से अभद्रता, चालान की कार्रवाई के दौरान सफाई नायक से मारपीट, पुलिस ने शिकायत के बाद किया चार पर केस दर्ज

बरेली। नगर निगम के स्वच्छता अभियान के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और सफाई नायक से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह जगदीश विहार रोड पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रहे सफाई नायक राजेंद्र कुमार समदर्शी से कुछ लोगों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित सफाई नायक के अनुसार, उन्होंने जब एक दुकानदार ओमप्रकाश पुत्र प्यारेलाल से नाम पूछकर चालान भरने को कहा, तो वह भड़क गया और बदसलूकी करने लगा। इसके बाद उसने विशाल पुत्र रतन कुमार को मौके पर बुला लिया, जो वहां पहुंचते ही गंदी-गंदी गालियां देने लगा और धमकाने लगा। इस दौरान एक महिला और एक अन्य व्यक्ति ने भी अभद्र व्यवहार करते हुए कार्रवाई में अड़ंगा डाला। घटना की शिकायत सफाई नायक ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी भानुप्रकाश से की, जिसके आधार पर प्रेमनगर थाने में दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

भूजल संरक्षण अभियान के प्रचार-प्रसार को लेकर वाहनो को मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

बरेली। उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार भूगर्भ जल सप्ताह (दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2025 के तक) के आयोजन एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग द्वारा आयोजित भूजल संरक्षण अभियान हेतु प्रचार-प्रसार वाहन को मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जो 16 से 22 जुलाई, 2025 तक जनपद-बरेली के शहरी क्षेत्रों समस्त विकास खण्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल संरक्षण हेतु जनमानस को जागरूक करायेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि गिरते भूजल स्तर और उस पर आसन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए अभी भी समय है कि भूजल संरक्षण के प्रति हमें सचेत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सब मिलकर इस वर्ष भूजल सप्ताह पर अपने आप से वादा करें कि हम पानी के खर्च में मुमकिन कटौती करेंगे और हम पानी की बरबादी को रोकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भूजल सप्ताह को इस बार का विचार बिन्दु -जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने 300 वर्ग मीटर से अधिक के सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं को रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाने के निर्देश दिये। भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-बरेली के सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट सौरभ शाह द्वारा वर्षा जल संचयन/संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया कि जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एन0जी0ओ0 के एस0के0 सूरी उपस्थित रहे।

राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में किया जायेगा मोबाइल कोर्ट का आयोजन

बरेली । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाकों के लोगों(दिव्यांगजन),जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, उनके मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से आगामी 30 जुलाई 2025 को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 द्वारा मोबाइल कोर्ट का आयोजन सर्किट हाउस सभागार,बरेली में किया जायेगा। इच्छुक दिव्यांगजनो द्वारा स्थानीय स्तर पर मोबाइल कोर्ट के माध्यम से अपनी समस्या निस्तारित कराए जाने हेतु दिनांक 30 जुलाई को सर्किट हाउस सभागार,बरेली में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

सपा नेता पर हमले की एफआईआर- रोहित राजपूत ने समर्थ मिश्रा पर लगाया साजिश का आरोप

बरेली।

समाजवादी पार्टी (सपा) के आंतरिक विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। सपा कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत ने सपा के ही जिला उपाध्यक्ष समर्थ मिश्रा पर जानलेवा हमले की साजिश रचवाने का गंभीर आरोप लगाते हुए बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि 8-10 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घर से बुलाकर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। रोहित राजपूत के अनुसार, सोमवार शाम वे अपने घर पर थे, तभी कुछ युवक किसी बहाने से उन्हें बाहर ले गए। बाहर निकलते ही 8-10 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। इस दौरान एक युवक ने रिवाल्वर लहराते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। रोहित ने कहा कि हमलावर अक्सर सपा नेता समर्थ मिश्रा के साथ देखे जाते हैं और यह हमला उन्हें गंभीर रूप से घायल करने तथा इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से किया गया। हमले में उन्हें कई अंदरूनी चोटें आई हैं। उन्होंने दावा किया कि यह हमला राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। वहीं, सपा जिला उपाध्यक्ष समर्थ मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, -रोहित राजपूत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं। यह पार्टी विरोधी तत्वों की साजिश है।- उन्होंने यह भी दावा किया कि रोहित पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि मामले में अज्ञात हमलावरों और नामजद व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, समर्थ मिश्रा के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसे देखते हुए पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 60 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

बहराइच।

> ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
> न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया

वादी जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा पर अपने परिवार के साथ रहकर ईंट पथाई का कार्य करता है जहां विपक्षी शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच वहीं पर भट्ठे पर ईंट भराई का काम करता था दिनांक 18.02.2021 को समय करीब 04.00 बजे अभियुक्त अपने अज्ञात साथी के साथ मोटरसाइकिल से वादी की पुत्री(पीड़िता) उम्र करीब 14 वर्ष को भट्ठे से बहला-फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना पयागपुर में दिनांक-19.02.2021 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 46/2021 धारा-363 भा.द.वि. बनाम शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के पंजीकृत किया गया ।जानकारी के अनुसार तत्कालीन विवेचक उ0नि0 महंत शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 09.06.2021 को अन्तर्गत धारा 363, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 23.07.2021 को विरचित किया गया। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय /पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी, म0आ0 सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का0 शिवपूजन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 16.07.2025 को दोषी अभियुक्त शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान उपरोक्त को आजीवन कारावास व 60 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार 4 वर्ष बाद पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर न्याय प्राप्त हुआ।

फागू शाह मजार पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सपाईयों ने किया प्रदर्शन

सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज क्षेत्र में फागू शाह मजार पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सपाईयों ने बुधवार को प्रदर्शन किया।सैकड़ों की संख्या में सपाई कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन पर सपाईयों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने का आरोप लगायें। आपको बता दें कि प्रशासन ने उक्त जमीन को पशुचर की संरक्षित जमीन बताकर की कार्रवाई की थी। पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने फागू बाबा के समाधि स्थल को मजार बनाकर दुरूपयोग करने का आरोप लगाया था। प्रदर्शन के दौरान डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून, पूर्व विधायक विजय पासवान, सपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक लालजी यादव, सपा नेत्री जुबैदा चौधरी सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहें।

फरीदपुर की प्लाईवुड फैक्ट्री में हादसा, क्रेनलिफ्ट की टक्कर से महिला मजदूर की मौत, चालक फरार

बरेली।

फरीदपुर थाना क्षेत्र की पंचजन्य प्लाईवुड फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हो गया। 50 वर्षीय दलित महिला मजदूर रेखा पत्नी देशराज सागर की क्रेनलिफ्ट की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि फैक्ट्री प्रबंधन उसकी पहचान छिपाने की कोशिश करता नजर आया। मृतका के बेटे ने फैक्ट्री पर गंभीर लापरवाही और साजिश का आरोप लगाया है। ग्राम बाकरगंज निवासी रेखा पिछले एक वर्ष से इस फैक्ट्री में काम कर रही थीं। रोज की तरह मंगलवार को भी वह लकड़ियों पर पानी डाल रही थीं, तभी अचानक एक क्रेनलिफ्ट चालक ने लापरवाही से मशीन घुमा दी। रेखा को जबरदस्त टक्कर लगी और वह मशीन के नीचे दब गईं। मौके पर मौजूद मजदूरों ने उन्हें घायल अवस्था में पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रेखा के बेटे सौरभ का आरोप है कि क्रेन चलाने वाला युवक एक दिन पहले ही काम पर रखा गया था, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन उसकी जानकारी छिपा रहा है। उन्होंने कहा, -मेरी मां की मौत हो गई, लेकिन किसी ने

न माफी मांगी, न कोई जानकारी दी। उल्टा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। फरीदपुर पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। चालक की तलाश जारी है और फैक्ट्री प्रबंधन से भी जवाब-तलब किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को रेखा का अंतिम संस्कार उनके गांव में गमगीन माहौल में किया गया। ग्रामीणों और मजदूर संगठनों ने घटना पर रोष जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

एक दिवसीय रोजगार मेला का हुआ आयोजन, 181 अभ्यर्थियों का किया गया चयन

बरेली। उप निदेशक (सेवायोजन) त्रिभुवन सिंह ने बताया कि निदेशक,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं ज्योति कॉलेज आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के संयुक्त तत्वाधान में ज्योति कॉलेज आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नालॉजी एयरपोर्ट रोड बरेली मे प्रातः 10:00 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। उक्त रोजगार मेले में निजी मेडिकल क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त रोजगार मेले में निजी क्षेत्र एवं मेडिकल क्षेत्र की 16 कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। रोजगार मेले में, गंगाशील, सिद्धि इन्फोटेक, श्री राममूर्ति स्मारक हास्पिटल, पुखराज हेल्थ केयर, ज्योति हास्पिटल, नवदीप हेल्थ केयर, कॉरेन्जा हेल्थ केयर, फ्लिपकार्ट, आदि प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जॉब फेयर का उद्घाटन मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बरेली मंडल के उप निदेशक त्रिभुवन सिंह, रमेश चन्द सहायक निदेशक(सेवायोजन) मुरादाबाद मण्डल एवं ज्योति कॉलेज आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के चेयरमैन डा0 शैलेन्द्र सिंह, डा0 चारू त्रिपाठी द्वारा फीता काट कर किया गया। इस रोजगार मेले में कुल 16 कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें से 592 अभ्यर्थियों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया जिसमें से 181 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उक्त रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में चैयरमेन डा0 शैलेन्द्र सिंह द्वारा प्रतीकात्मक रूप से 07 नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं शुभकामनाएं दी। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बरेली मंडल के उप निदेशक त्रिभुवन सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार रोजगार मेलों का आयोजन कराकर क्षेत्र के बेरोजगारो को रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करना है। तथा सरकार की प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मंशा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन लक्ष्य प्राप्ति में बेहद सहायक है साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रतिमाह रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए सेवायोजन साथ ही कार्यालय द्वारा निरंतर अनिवार्य रूप से सेवायोजन संगम पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है ।

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी मेंराजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया -सक्षम भारत

दिल्लीवासियों को रेखा सरकार का तोहफा, 6000 करोड़ रुपये की लागत से यहां बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना न केवल राजधानी में यातायात की भीड़भाड़ को कम करेगी, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए सुगम और तेज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस परियोजना की लागत 5,500 से 6,000 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। इनर रिंग रोड लगभग 55 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 1960 के दशक में शुरू हुआ था। उस समय दिल्ली की जनसंख्या 30 लाख से भी कम थी। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य दिल्ली से ट्रैफिक को बाहर की ओर डायवर्ट करना और शहर के भीतरी हिस्सों में यातायात के दबाव को कम करना था। यह सड़क दिल्ली के प्रमुख इलाकों को जोड़ती है और मथुरा रोड, अरबिंदो मार्ग, डीएनडी फ्लाईवे और रोहतक रोड जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से यातायात को जोड़ने का काम करती है। हालांकि, मौजूदा समय दिल्ली की जनसंख्या दो करोड़ से अधिक हो चुकी है और शहर में वाहनों की संख्या 1.4 करोड़ को पार कर गई है। इस वजह से इनर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया है। खासकर एम्स, मूलचंद, धौला कुआं, आश्रम और आईटीओ जैसे चौराहों पर जहां जाम की स्थिति रोज होती है। दिल्ली सरकार की योजना इनर रिंग रोड पर लगभग 80 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की है, जिसमें रैंप, लूप और अतिरिक्त लिंक रोड शामिल होंगे। यह कॉरिडोर मौजूदा सड़क के ऊपर खंभों पर बनाया जाएगा जिससे जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी। इस प्रीमियम कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री और हाईस्पीड मार्ग के रूप में डिजाइन किया जाएगा जो टोल देने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए तेज और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस परियोजना को दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बताया है। उन्होंने कहा, रिंग रोड पर बढ़ते यातायात को देखते हुए मौजूदा सड़क के ऊपर इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। इसके लिए कुछ जमीन अधिग्रहीत होगी और रैंप व लूप के जरिये इसे प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी ने सलाहकार नियुक्त करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीआर में तकनीकी व्यवहार्यता और यातायात डायवर्जन मॉडल की जांच की जाएगी ताकि निर्माण के दौरान व्यवधान न्यूनतम रहे। दिल्ली सरकार मुनक नहर पर भी 20 किलोमीटर लंबा एक और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है जो इंद्रलोक से बवाना तक जाएगा। इस परियोजना से 18 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ होगा और दिल्ली-हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा, तीसरी रिंग रोड भी जल्द तैयार हो जाएगी। यह इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी। सिग्नल-फ्री कॉरिडोर के कारण इनर रिंग रोड पर जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। खासकर पीक आवर्स में यात्रा का समय 40 फीसदी तक कम हो सकता है। यह कॉरिडोर दिल्ली के प्रमुख मार्गों जैसे मथुरा रोड, अरबिंदो मार्ग और डीएनडी फ्लाईवे को जोड़ेगा जिससे हवाई अड्डे, गुरुग्राम और अन्य राजमार्गों तक पहुंच आसान होगी। ट्रैफिक जाम कम होने से वाहनों का उत्सर्जन कम होगा जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते- सीडीएस

नई दिल्ली।

विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा विदेश से इम्पोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी C-UAS (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में UAV (अनमैंड एरियल व्हीकल) और C-UAS (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) की प्रदर्शनी में कहीं। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर जनरल चौहान ने कहा- मुझे लगता है कि ड्रोन्स इवॉल्यूशनरी (विकासवादी) हैं और युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत क्रांतिकारी रहा है। जैसे-जैसे उनकी तैनाती और दायरा बढ़ा, सेना ने क्रांतिकारी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमारे लड़े गए कई युद्धों में आपने यह देखा है। उन्होंने कहा- हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यह हमारे युद्ध और डिफेंस ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता को कम करती है। इससे अहम मैकेनिकल पार्ट्स की कमी होती है। सीडीएस चौहान ने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान फाइटर जेट खोने के सवाल पर कहा- जब मुझसे हमारे नुकसान के बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं यह महत्वपूर्ण है। नुकसान और संख्या के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा- मान लीजिए कि आप क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं। तो कितने विकेट, कितनी गेंदें और कितने खिलाड़ी हैं। इसका कोई सवाल ही नहीं है।

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से: आठ विधेयकों को पेश करने की तैयारी में केंद्र सरकार, जोरदार हंगामे के आसार

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार आठ नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर छह महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समयसीमा 13 अगस्त है।

ये विधेयक हो सकते हैं संसद में पेश

संसद के आगामी सत्र में सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश और पारित करा सकती है। साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित किए जाने की उम्मीद है।

संसद के बजट सत्र में कितना काम हुआ?

बता दें कि बीते अप्रैल माह में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 18 फीसदी रही थी। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक राज्यसभा में भी भरपूर कामकाज हुआ और इस सदन की उत्पादकता 119 फीसदी रही। संसद के दोनों सदनों में 16 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र के दौरान काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

यमन में भारतीय नर्स निमिषा को मिलेगी मौत !

नई दिल्ली। यमन की जेल में मौत की सजा काट रहीं केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फिलहाल थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी अधर में लटका है। 16 जुलाई को तय फांसी को भारत सरकार, सऊदी एजेंसियों और धार्मिक नेताओं की कोशिशों से टाल तो दिया गया है ,लेकिन अंतिम फैसला मृतक परिवार के हाथ में है। अगर वे ब्लड मनी लेने को तैयार होते हैं तभी निमिषा की जान बच सकती है। मृतक तलाल के भाई अब्देलफत्ताह मेहदी ने साफ कर दिया है इस हत्या के लिए कोई माफी नहीं है। उन्होंने भारतीय मीडिया पर भी आरोप लगाया कि निमिषा को 'मासूम पीड़िता' की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। यमन के शरिया कानून में हत्या के मामले में 'ब्लड मनी' यानी वित्तीय मुआवजे के बदले माफी दी जा सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब मृतक परिवार इसके लिए राजी होगा। अभी परिवार ने कोई नरमी नहीं दिखाई है। हालांकि, केरल के अरबपति एम. ए. यूसुफ अली ने जरूरत पड़ने पर ब्लड मनी देने में मदद का वादा किया है।

राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए- उमर

जम्मू। उमर ने कहा, हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे जिसका वादा हमसे ना किया गया हो. संसद में और संसद के बाहर सुप्रीम कोर्ट में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार-बार कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर को सही समय पर राज्य का दर्जा दिए जाएगा. उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तब कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द कब का हो चुका है, अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. 21 जुलाई को संसद के घेराव पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से इस बाबत बात नहीं हुई है.

राज ठाकरे ने उद्धव गुट के साथ गठबंधन को लेकर दिए बयानों से किया इनकार

मुंबई। नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन को लेकर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि मीडिया के एक हिस्से ने उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया। राज ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर उन्हें कोई राजनीतिक बयान देना होगा, तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही देंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 14 और 15 जुलाई को नासिक के इगतपुरी में चुनिंदा पदाधिकारियों के लिए एक बैठक रखी थी, जहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, तब मुझसे पांच जुलाई को मुंबई में हुई विजय रैली के बारे में पूछा गया। मैंने कहा कि यह कार्यक्रम मराठी मानुष की जीत का जश्न था और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन को लेकर क्या विचार है। इस पर मैंने जवाब दिया - क्या मैं अभी आपसे गठबंधन पर चर्चा करूं? मनसे प्रमुख ने कहा कि उन्होंने जो शब्द नहीं कहे, उन्हें उनके मुंह में डाल दिया गया और कहा गया कि गठबंधन पर फैसला नगर निकाय चुनावों से पहले हालात को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को अनौपचारिक ही रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह 1984 से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और कुछ पत्रकारों का व्यवहार उनके पेशे के अनुरूप नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, राहुल और खरगे ने पीएम को लिखा पत्र

नईदिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मांग जायज होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि जहां अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में बेमिसाल है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा कि आपने स्वयं कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था- राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं। फिर, 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से पुष्टि की- हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।

अगले 48 घंटे में बिजली गिरने की चेतावनी, कई जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

लखनऊ। यूपी में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाराणसी में गंगा नदी का पानी नमो घाट तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज से बारिश का दौर और तेज हो सकता है और अगले 48 घंटों में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में आज कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जुलाई को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 21 जुलाई तक अलग-अलग इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

आज सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर में लगभग सभी जगहों पर घनघोर बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, वाराणसी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, भदोही, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर में भी भारी बारिश का अनुमान है। इन जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और लखीमपुर खीरी में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव में भी कई जगहों पर बारिश और वज्रपात होने का अनुमान है।

इन जिलों में हल्की बारिश

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में केवल एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। यहां किसी तरह का अलर्ट नहीं दिया गया है।

महाराष्ट्र में नाम हटाकर जीती, अब बिहार में भी वही कोशिश, सीएम ममता ने भाजपा पर साधा निशाना

बंगाल। अपनी बंगाली पहचान का राग अलापते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश में भीगते हुए भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च निकाला। कोलकाता के मध्य में आयोजित यह विरोध मार्च एकता का भी प्रदर्शन था क्योंकि इसमें अभिषेक बनर्जी सहित सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता शामिल हुए। लगातार बारिश के बीच तृणमूल सुप्रीमो और अन्य नेताओं के तीन किलोमीटर लंबे रास्ते पर बीजेपी, छी छी (शर्म करो बीजेपी) के नारे गूंज रहे थे। लगभग 1,500 पुलिसकर्मी पूरे रास्ते पर पहरा दे रहे थे। रैली के बाद, ममता ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र को चुनौती दी कि वह उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दे। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि मैं ज्यादातर बंगाली में बोलूंगी। मुझे डिटेंशन कैंप में डाल दो। बीजेपी खेला होबे। जरा इंतजार करो। ओडिशा में प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लेने, भाषाई भेदभाव और दिल्ली में बेदखली अभियान की खबरें टीएमसी और बीजेपी के बीच ताजा विवाद का विषय बन गई हैं। इस विरोध मार्च का कारण हाल ही में ओडिशा के झारसुगुड़ा में 444 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की हिरासत थी। टीएमसी का दावा है कि उनमें से 200 बंगाल से आए प्रवासी मजदूर थे। तृणमूल कांग्रेस ने इस मौके का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं की और बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आई। बंगाल के लगभग 22 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। ममता ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत शिविरों में रखा जाए। यह अधिसूचना सभी भाजपा शासित राज्यों को भेज दी गई है। हम इस अधिसूचना को चुनौती देंगे। आप हर बंगाली भाषी को जेल कैसे भेजेंगे? पश्चिम बंगाल के नागरिकों के पास पहचान पत्र है। वे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास हुनर है। वे उनसे काम तो करवाएंगे, लेकिन बांग्ला बोलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। आपको यह अधिकार किसने दिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना दी मंजूरी, हर साल 24,000 करोड़ किए जाएंगे खर्च

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना छह वर्षों के लिए लागू होगी, जिसके तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, भंडारण और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को एकीकृत किया गया है।

योजना की शुरुआत 100 जिलों में की जाएगी, जहां फसल विविधीकरण, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज को बढ़ावा मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में बताया कि, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ेगी, सिंचाई नेटवर्क में सुधार होगा और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह निवेश कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया। सरकार ने एनएलसीआईएल को नवरत्न CPSE के लिए तय मौजूदा निवेश दिशा-निर्देशों से विशेष छूट भी दी है, जिससे कंपनी बिना किसी पूर्व स्वीकृति के NIRL में प्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त उपक्रमों के जरिए निवेश कर सकेगी। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, इस रणनीतिक निर्णय से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास सुनिश्चित होगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC को भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति प्रदान की है।

सीएम सिद्धारमैया बोले- कांग्रेस जाति जनगणना के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगी

बंगलूरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बुधवार को कांग्रेस ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में जाति जनगणना के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय जातिगत जनगणना तेलंगाना राज्य की जाति सर्वेक्षण को मॉडल बनाकर की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन प्रस्तावों को बंगलूरू घोषणा का नाम दिया और कहा, यह जनगणना प्रत्येक व्यक्ति और जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करते हुए होनी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को समाप्त करने से जुड़ा है, ताकि ओबीसी वर्ग को शिक्षा, सेवा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में समुचित आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। तीसरे प्रस्ताव में निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी ओबीसी के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण की मांग की गई। सलाहकार परिषद ने सर्वसम्मति से न्याय योद्धा राहुल गांधी को समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी की अडिग प्रतिबद्धता ने मनुवादी मोदी सरकार को भारत में जातिगत जनगणना की न्यायपूर्ण और संवैधानिक मांग के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया।

धर्मांतरण निषेध कानून पर घिरी उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से धर्मांतरण निषेध कानून (संशोधन) 2024 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही याचिका को इस मुद्दे से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए जोड़ा गया है। यह याचिका लखनऊ की शिक्षाविद रूप रेखा वर्मा और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी के धर्मांतरण निषेध कानून (संशोधन) 2024 की कुछ धाराएं स्पष्ट और विस्तृत नहीं हैं। इनकी भाषा इतनी उलझी हुई है कि पता ही नहीं चलता कि कानून के तहत अपराध क्या है? इससे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म प्रचार के अधिकार पर असर पड़ता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि कानून को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि याचिका केवल 2024 में कानून में संशोधन को चुनौती देने के लिए थी। अधिवक्ता पूर्णिमा कृष्णा के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। अधिनियम की धारा 2 और 3 अस्पष्ट है। इससे यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि अपराध क्या है! याचिका में कहा गया है कि दंडात्मक कानून सटीक होने चाहिए। अस्पष्ट प्रावधान प्राधिकारियों को अत्यधिक विवेकाधिकार प्रदान करके, उचित सूचना प्रदान करने में विफल होकर और निर्दोष व्यक्तियों पर गलत मुकदमा चलाने का जोखिम उठाकर संविधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। याचिका में कहा गया कि यह अस्पष्टता मनमाने ढंग से प्रवर्तन और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देती है। खासकर उन व्यक्तियों के खिलाफ जो अपने धर्म का पालन या प्रचार करना चाहते हैं। कानून सभी धार्मिक रूपांतरणों के पीछे दुर्भावना मानता है और वयस्क व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखता है, जिससे वे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके व्यक्तिगत निर्णयों को राज्य द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। कानून की धारा 5 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह गलत धारणा है कि सभी महिलाएं चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अवैध धर्मांतरण के प्रति संवेदनशील हैं।